Gender Discrimination and Harassment of Women at Workplace

Dr. Veena Dwivedi
Dr. Avnish Nagar

HIMANSHU Publications

Copyright ©

No part of the material protected by this copyright notice may be reproduced or utilised in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from the editors'.

The authors of the papers are alone responsible for technical contents of the papers and references therein.

ISBN : 978-81-7906-518-1

Price : ₹ 1295.00

2015

Published by

HIMANSHU PUBLICATIONS

464, Sector 11, Hiran Magri, Udaipur - 1 (Raj.) INDIA; Phone : 0294-5106186, 5106183
4379/4-B, Prakash House, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi - 2; Phone : 94141-66102
e-mail : *himanshupublications@gmail.com;* web: *www.himanshupublications.com*

42. विकेन्द्रीकरण से महिलाओं की राजनीतिक सशक्तता 435
सीता गुर्जर

43. लैंगिक संवेदनशीलता व महिला अधिकार 448
सरिता मेनारिया

44. महिला-पुरुष मतभेद : विहंगम दृष्टिकोण 454
सीता गौड़

45. महिला उत्पीड़न दशा एवं दिशा 462
पुष्पा मिश्रा

महिला उत्पीड़न दशा एवं दिशा

पुष्पा मिश्रा*

परिचय

आज हमारे देश में महिला असुरक्षित है तथा घरों से बाहर निकलने से महिलाऐं डरती हैं नौकरी, पेशा महिलाऐं जो घरो से बाहर निकलती है वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता से ग्रसित रहती हैं आये दिन महिलाओं के साथ दुराचार – उत्पीड़न आदि की खबरें सूननें को मिलती हैं विश्व गुरू कहलवानें वाला देश, दिनों दिन इस कदर चारित्रिक पतन की ओर बढ़ता जा रहा है कि महिलाऐं भय ग्रस्त होकर जिनको मजबूर हो रहीं हैं यौन शोषण एवं बलात्कार की घटनायें समाज के उन छुपें चहरें के कुकृत्यों को परिभाषित करती है जो समाज में अपनी आदर्श पहचान रखते हैं घटनाओं के सन्दर्भ में जो कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर हो रहा हैं उसे देखकर समाज का यह छिपा हुआ चेहरा सामने आ रहा हैं कार्य स्थल पर यौन शोषण की शिकायतें लगातार महिला पुलिस थानों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं में पहुच रही हैं जब महिलाओं की ईच्छा के विरूद्ध पुरूष उसके साथ अभद्र यौन आचरण करता है, यह यौन उत्पीड़न हैं भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही हैं कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं मानवाधिकार का हनन तो है ही, इसका असर पारिवारीक जीवन एवं आर्थिक उत्पादकता पर भी पड़ता हैं इस तरह की प्रत्येक घटना लैंगिक समानता तथा गरिमामय जीवन के अधिकार का हनन करता हैं संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16 तथा 21 में वर्णित अधिकारों का स्पष्ट हनन हो रहा हैं अनुच्छेंद 19 काम की आजादी के पीड़िता की के मौलिक अधिकार का उलघंन हैं सर्वोच्य न्यायालय में सभी नियोक्ताओं को यह निर्देश दिया है कि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को अपने नियमों व स्थाई आदेशों में दुराचरण के रूप में शामिल करें किसी भी कार्मिक द्वारा किया गया दुराचरण के प्रमाण उपलब्ध करवाना या चश्मदीद गवाह पेश करना संभव नहीं हो पाता हैं यौन उत्पीड़न से पीड़िता के शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य पर विपरित असर पड़ता हैं वह डरी हुई, सहमी, घबराई, चिड़चीड़ी सी रहती हैं समस्या यह है कि इसमें उत्पीड़न के रूप में मानने के बजाय उल्टा कमजोर कार्य निष्पादन अयिमितता आदि पीड़िता को हीं परेशान

* प्रवक्ता, समाज कार्य विभाग, जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय, लाडनूं (राजस्थान)